(63)

संख्या- 338 / II-2004 / 2005

प्रेषक,

विभा पुरी दास,
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त,
उत्तरांचल शासन.

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लघु सिंचाई विभाग,
उत्तरांचल- देहरादून.

लघु सिंचाई विभाग

देहरादून: दिनांक: 31 मार्च, 2005

विषय: पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत लघु सिंचाई विभाग में जल उपभोक्ता समूह के माध्यम से सिंचाई सहभागिता प्रबन्धन व्यवस्था।

महोदय,

पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत सिंचाई सहभागिता प्रबन्धन व्यवस्था को लागू करने के उद्देश्य से शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लघु सिंचाई विभाग से सम्बन्धित योजनाओं के क्रियान्वयन एवं रखरखाव निम्नानुसार जल उपभोक्ता समूहों के माध्यम से कराने का निर्णय लिया गया है।

1- **जिला सैक्टर एवं राज्य सैक्टर**

जिला योजना एवं राज्य योजना की धनराशि शासन द्वारा जिला पंचायतों को स्थानान्तरित की जायेगी।

(अ) ग्राम पंचायत स्तर पर किये जाने वाले कार्य

(I) सिंचाई सम्बन्धी आवश्यकताओं का चिन्हीकरण ।

(II) सिंचाई परियोजना स्थल चयन ग्राम सभा की खुली बैठक में, लघु सिंचाई विभाग के मानको के अनुसार (मानक विभाग उपलब्ध करायेगा)।

(III) सिंचाई परियोजनाओं का प्रारम्भिक सर्वेक्षण कर प्रारम्भिक प्राक्कलन हेतु सूचना निम्न प्रकार उपलब्ध कराना।

(क) जल श्रोत से माहवार उपलब्ध होने वाली जल की मात्रा का आंकलन।
(ख) जल श्रोत संरक्षण/अभिवर्धन हेतु किये जाने वाले कार्यों का विवरण।
(ग) प्रतिवेदित क्षेत्रफल हैक्टेयर में।
(घ) गूल/पाईप लाइन की लम्बाई कि0मी0 में।
(ङ) हौज की संख्या एवं आकार (लम्बाई X चौड़ाई मीटर में)
(च) हाईड्रम की संख्या।
(छ) वीयर की संख्या तथा लम्बाई मीटर में।
(ज) आर्टीजन/पम्पसेट का विवरण।
(झ) मरम्मत की आवश्यकता का विवरण।

सर्वेक्षण हेतु प्रारूप विभाग द्वारा तय किया जायेगा।

(IV) बिन्दु III के अनुसार सर्वेक्षण के उपरान्त प्रारम्भिक प्राक्कलन तैयार किया जाना (सरल प्रारूप में)। प्रारूप विभाग उपलब्ध करायेगा।

(V) एकल ग्राम योजना का प्रस्ताव प्रारम्भिक प्राक्कलन सहित जिला पंचायत को प्रेषित किया जायेगा। जिला पंचायत इन पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करेगी तथा धनराशि का स्थानान्तरण एकमुश्त ग्राम निधि में करेगी। तत्पश्चात् ग्राम पंचायत यह धनराशि तीन बराबर किश्तों में धनराशि जल उपभोक्ता समूह के खाते (*जिसका विवरण आगे है*) में करेगी। प्रथम किश्त अग्रिम के रूप में दी जायेगी। इसके समायोजन के पश्चात् द्वितीय किश्त अग्रिम के रूप में दी जायेगी।

(VI) परियोजना विशेष के नाम से जल उपभोक्ता समूह का गठन किया जायेगा। यदि एक ग्राम पंचायत में एक से अधिक परियोजनाएँ हों तो तद्नुसार एक से अधिक उपभोक्ता समूहों का गठन किया जायेगा। इसका पदेन अध्यक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत का प्रधान होगा। परियोजना से लाभान्वित होने वाले समस्त कृषक इसके सामान्य सदस्य एवं ग्राम पंचायत की स्वच्छता एवं जल प्रबन्धन समिति के सदस्य इसके पदेन सदस्य होंगे। इसके उपाध्यक्ष का चयन सामान्य सदस्यों में से सामान्य सदस्यों द्वारा जल उपभोक्ता समूह की खुली बैठक में सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी के पर्यवेक्षण में बहुमत से किया जायेगा। विकास खण्ड में पदस्थापित लघु सिंचाई विभाग का कनिष्ठ अभियन्ता इस समूह का पदेन सचिव होगा।

(VII) परियोजना का समस्त निर्माण, मरम्मत एवं रख–रखाव कार्य जल उपभोक्ता समूह द्वारा किया जायेगा। इस हेतु सामग्री एवं सेवाओं का क्रय/उपार्जन सक्षम स्तर से स्वीकृत प्राक्कलन की धनराशि की सीमा तक इस समूह द्वारा ही किया जायेगा। प्रतिबन्ध यह है कि एक बार में परियोजना की लागत के 25 प्रतिशत से अधिक अग्रिम भुगतान नहीं किया जा सकता। परियोजना निर्माण पूर्ण होने के पूर्व परियोजना की श्रम लागत की 3 % धनराशि अंशदान के रूप में परियोजना के रखरखाव हेतु समूह के खाते में जमा होगी जो ग्राम पंचायत के खाते से भिन्न होगा। यह खाता निकटवर्ती राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा में खोला जायेगा। इस खाते का संचालन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा।

(VIII) परियोजना के तकनीकी एवं वित्तीय अभिलेख सचिव की अभिरक्षा में रहेंगे। परियोजना के प्रशासनिक अभिलेख तथा तकनीकी अभिलेखों की सचिव द्वारा अभिप्रमाणित प्रतियां उपाध्यक्ष की अभिरक्षा में रहेंगी। इन अभिलेखों का अवलोकन जल उपभोक्ता समूह का कोई भी सदस्य अथवा कोई निर्वाचित जनप्रतिनिधि अथवा वरिष्ठ अधिकारीगण अथवा शासन द्वारा प्राधिकृत जांच एजेन्सियों के कार्मिक किसी [illegible] कर सकते हैं एवं इनकी सत्यापित प्रतियाँ प्राप्त कर सकते हैं।

[illegible] सम्बन्धित ग्राम पंचायत जल उपभोक्ता समूह की संस्तुति पर आवश्यकतानुसार [illegible] कर का निर्धारण करेगी, जिससे योजना की सामान्य मरम्मत का कार्य सम्पन्न [illegible] परियोजना [illegible] के तीन वर्षो के अन्तराल पर विशेष मरम्मत तथा भूस्खलन, भूकम्प आदि [illegible] आपदाओं से हुई क्षति की मरम्मत हेतु धनराशि संसाधनों की सीमा [illegible] सरकार द्वारा दी जायेगी।

(X) जल उपभोक्ता समूह द्वारा योजना का क्रियान्वयन/रख रखाव का कार्य लघु सिंचाई विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत प्राक्कलन तथा मानक के अनुसार किया जायेगा। कार्य के लिये आवश्यक उपकरण, मशीनें इत्यादि उपलब्ध कराना लघु सिंचाई विभाग का उत्तरदायित्व होगा।

(XI) उपभोक्ता समूह 25% अग्रिम सामग्री की व्यवस्था के अतिरिक्त उतने ही कार्यों/कार्य के भाग का भुगतान करेगी जो भौतिक रूप से पूर्ण हो चुके हैं।

(XII) कार्य का मूल्यांकन कनिष्ठ अभियन्ता,लघु सिंचाई तथा प्रतिहस्ताक्षर सह. अभियन्ता,लघु सिंचाई द्वारा किया जायेगा तथा निरीक्षण/पर्यवेक्षण विभाग के विभिन्न स्तर पर नियुक्त अधिकारियों द्वारा किया जायेगा।

(XIII) समय–समय पर प्राप्त धनराशि को निर्धारित समय पर व्यय करने तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करने का दायित्व सम्बन्धित जल उपभोक्ता समूह का होगा।

(XIV) जल उपभोक्ता समूह की प्रत्येक मास में एक बैठक अवश्य बुलाई जायेगी। बैठक आहूत करने का दायित्व इसके सचिव का होगा।

(XV) प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के उपरान्त अधिकतम छः माह में लेखापरीक्षा कराया जाना सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।।

(XVI) वित्तीय हस्तपुस्तिका में वर्णित भण्डार क्रय सम्बन्धी समस्त प्राविधान इन कार्यो के सन्दर्भ में भी अक्षरशः लागू होंगे। इसे पालन कराने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व जल उपभोक्ता समूह के सचिव का होगा। जनपद के लघु सिंचाई विभाग के सहायक अभियन्ता निर्माणाधीन परियोजनाओं के सन्दर्भ में प्रत्येक दो माह में इस हेतु अवश्य निरीक्षण करते रहेंगे।

(ब) क्षेत्र पंचायत के समन्वय के अधीन किये जाने वाले कार्य

(I) क्षेत्र के अन्दर दो या दो से अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने वाली लघु सिंचाई परियोजनाओं का चिन्हीकरण।

(II) क्षेत्र के अन्दर दो या दो से अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने वाली सिंचाई योजनाओं का स्थलीय चयन क्षेत्र पंचायत की खुली बैठक में लघु सिंचाई विभाग के मानको के अनुसार (मानक विभाग उपलब्ध करायेगा)

(III) सिंचाई परियोजना का प्रारम्भिक सर्वेक्षण विकास खण्ड में तैनात कनिष्ठ अभियन्ता लघु सिंचाई द्वारा किया जायेगा। प्रारम्भिक प्राक्कलन हेतु सूचना प्रस्तर (अ) (III) के अनुसार उपलब्ध करायी जायेगी।

(IV) बिन्दु III के अनुसार सर्वेक्षण के उपरान्त प्रारम्भिक प्राक्कलन तैयार किया जाना (सरल प्रारूप में) प्रारूप विभाग उपलब्ध करायेगा।

क्रमशः —4

(V) क्षेत्र के अन्तर्गत दो या दो से अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने वाली सिंचाई योजनाओं का प्रस्ताव (प्रारम्भिक प्राक्कलन सहित) जिला पंचायत को प्रेषित किया जायेगा।

(VI) जिला पंचायत की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त सिंचाई परियोजना के सम्बन्धित ग्राम पंचायत में पड़ने वाले भाग का क्रियान्वयन/रख रखाव उस ग्राम पंचायत के अन्तर्गत उपरोक्त प्रस्तर 1 (अ) (VI) के प्राविधानानुसार गठित जल उपभोक्ता समूह द्वारा किया जायेगा। ऐसे सभी जल उपभोक्ता समूहों के बीच समन्वय का कार्य सम्बन्धित क्षेत्र समिति के प्रमुख के नियंत्रण में खण्ड विकास अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(VII) उपरोक्त प्रस्तर 1 (अ) (VII) से लेकर (XVI) तक के प्राविधान इन कार्यों पर भी लागू होंगे।

(2) केन्द्र पुरोनिधानित एवं वाह्य सहायतित योजनायें

(I) इनसे सम्बन्धित परियोजनाओं की प्रथम चयन सूची विभाग द्वारा भारत सरकार के मानदण्डों/मार्गनिर्देशों के अनुरूप निर्मित कर सम्बन्धित जिला पंचायत को उपलब्ध कराई जायेगी। सूची प्राप्ति के एक माह के अन्तर्गत जिला पंचायत द्वारा इनका प्राथमिकता कम निर्धारित किया जायेगा। जिला पंचायत अनुपयुक्त परियोजनाओं को इस सूची से विलोपित कर सकती है। जिला पंचायत द्वारा प्राथमिकता क्रम निर्धारण सहित संस्तुत सूची को ध्यान में रखते हुये शासन द्वारा जनपदवार परियोजनाओं का चयन किया जायेगा।

(II) परियोजना विशेष के नाम से जल उपभोक्ता समूह का गठन किया जायेगा। यदि एक ग्राम पंचायत में एक से अधिक परियोजनाएँ हों तो तद्नुसार एक से अधिक उपभोक्ता समूहों का गठन किया जायोगा। इसका पदेन अध्यक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत का प्रधान होगा। परियोजना से लाभान्वित होने वाले समस्त कृषक इसके सामान्य सदस्य एवं ग्राम पंचायत की स्वच्छता एवं जल प्रबन्धन समिति के सदस्य इसके पदेन सदस्य होंगे। इसके उपाध्यक्ष का चयन सामान्य सदस्यों में से सामान्य सदस्यों द्वारा जल उपभोक्ता समूह की खुली बैठक में सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी के पर्यवेक्षण में बहुमत से किया जायेगा। विकास खण्ड में पदस्थापित लघु सिंचाई विभाग का कनिष्ठ अभियन्ता इस समूह का पदेन सचिव होगा।

(III) परियोजना का समस्त निर्माण, मरम्मत एवं रख–रखाव कार्य जल उपभोक्ता समूह के माध्यम से विभाग द्वारा किया जायेगा। इस हेतु सामग्री का क्रय विभाग द्वारा सक्षम स्तर से वित्तीय हस्तपुस्तिका के भण्डार क्रय नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा। श्रमिकों को कार्य पर उपभोक्ता समूह द्वारा लगाया जायेगा एवं समूह के सचिव द्वारा मस्टरोल तैयार किया जायेगा तथा समूह के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा। इन परियोजनाओं के अन्तर्गत कोई भी अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा। परियोजना निर्माण पूर्ण होने से पूर्व परियोजना में श्रमांश की लागत की

क्रमशः —5

3 प्रतिशत धनराशि परियोजना के रखरखाव हेतु सामान्य सदस्यों से आनुपातिक अंशदान के रूप में एकत्रित कर समूह के खाते में जमा होगी, जो ग्राम पंचायत के खाते से भिन्न होगा। यह खाता निकटवर्ती राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा में खोला जायेगा। इस खाते का संचालन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा। परियोजना निर्माण के उपरान्त उपभोक्ता समूह को हस्तान्तरित की जायेगी।

(IV) परियोजना के प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय अभिलेख सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई की अभिरक्षा में रहेंगे। परियोजना के प्रशासनिक तथा तकनीकी अभिलेखों की अधिशासी अभियन्ता द्वारा अभिप्रमाणित प्रतियां उपाध्यक्ष की अभिरक्षा में रहेंगी। इन अभिलेखों का अवलोकन जल उपभोक्ता समूह का कोई भी सदस्य अथवा कोई निर्वाचित जनप्रतिनिधि अथवा वरिष्ठ अधिकारीगण अथवा शासन द्वारा प्राधिकृत जांच एजेन्सियों के कार्मिक किसी भी समय कर सकते हैं एवं इनकी सत्यापित प्रतियाँ प्राप्त कर सकते हैं।

(V) सम्बन्धित ग्राम पंचायत जल उपभोक्ता समूह की संस्तुति पर आवश्यकतानुसार जल कर का निर्धारण करेगी, जिससे योजना की सामान्य मरम्मत का कार्य सम्पन्न होगा। परियोजना समाप्ति के तीन वर्षो के अन्तराल पर विशेष मरम्मत तथा भूस्खलन, भूकम्प आदि प्राकृतिक आपदाओं से हुई क्षति की मरम्मत हेतु धनराशि संसाधनों की सीमा में यथासम्भव राज्य सरकार द्वारा दी जायेगी।

(VI) कार्य का मूल्यांकन लघु सिंचाई विभाग में प्रवृत्त वित्तीय प्रक्रिया के माध्यम से किया जायेगा। वर्ष में सम्पादित 5 प्रतिशत कार्यो की जांच शासन द्वारा नामित एजेन्सी द्वारा रैण्डम आधार पर/शिकायत प्राप्त होने पर कराई जायेगी।

(VII) समय–समय पर प्राप्त धनराशि को निर्धारित समय पर व्यय करने तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करने का दायित्व मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग का होगा।

(VIII) जल उपभोक्ता समूह की प्रत्येक माह में एक बैठक अवश्य बुलाई जायेगी। बैठक आहूत करने का दायित्व इसके सचिव का होगा।

भवदीया,

(विभा पुरी दास)
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त

क्रमशः —6

संख्या–338 /II–2004/2005 तद्दिनांक. 31-3-05

प्रतिपिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित.

1. संयुक्त सचिव, लघु सिंचाई विभाग, जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार.
2. उपसलाहकार, लघु सिंचाई, योजना आयोग, भारत सरकार.
3. आयुक्त, गढवाल मण्डल पौड़ी एवं कुमायूं मण्डल नैनीताल.
4. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तरांचल शासन
5. प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तरांचल शासन.
6. सचिव, नियोजन विभाग, उत्तरांचल शासन.
7. सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तरांचल शासन.
8. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल।
9. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन.
10. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल.
11. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरांचल.
12. मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तरांचल.
13. मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लघु सिंचाई विभाग, उत्तरांचल.
14. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग.
15. समस्त अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग.
16. समस्त सहायक एवं कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग.
17. निदेशक, कृषि विभाग, उत्तरांचल.
18. मुख्य परियोजना निदेशक, जलागम विकास परियोजना, उत्तरांचल.
19. निदेशक, उद्यान विभाग, उत्तरांचल.
20. गार्ड फाईल.

(डा0पी0एस0गुसांई)
अपर सचिव